कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, 85/87–राजपुर रोड, देहरादून।

फैक्सः–0135–2741607 ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

पत्रांकः नि0 1538 /3–5 (मांग/प्रस्ताव) दिनाकः देहरादून 02 अप्रैल 2024।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप–निदेशक, उत्तराखण्ड।

महत्वपूर्ण

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वन विभाग के अनुदान सं0–27, 30 एवं 31 के राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत शासन से स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों के अनुसार एक्शन प्लान उपलब्ध कराये जाने के के सम्बन्ध में।**

महोदया/महोदय,

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभागीय आय–व्ययक स्वीकृत किया जा चुका है, जिसे विभागीय वेबसाइट www.forest.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

2– आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2023–24 से शासन द्वारा वन विभाग के अनुदान सं0 27, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं को 10 योजनाओं में मर्ज किया गया है, योजनाओं के संचालन हेतु दिशा–निर्देश कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक क–1018/3–9 (आय–व्ययक 2024–25) दिनांक 11.03.2024 को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। मानक मद 02–मजदूरी (लीसा के टिपान हेतु मजदूरी भी सम्मिलित), 04–यात्रा व्यय, 06–अन्य भत्ते, 07–मानदेय, 08– पारिश्रमिक, 09– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, 10– प्रशिक्षण व्यय, 11– अनुमन्यता संबंधी व्यय, 20–लेखन सामग्री एवं छपाई, 21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 22–कार्यालय व्यय, 23– किराया उपशुल्क कर स्वामित्व, 24– विज्ञापन बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय, 25– उपयोगिता बिल भुगतान, 26– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का कय, 30–आतिथ्य व्यय, 31– गुप्त सेवा व्यय, 41– भोजन व्यय, 43–औषधी तथा रसायन एवं 44–सामग्री और सम्पूर्ति की मांग **"अधिष्ठान एवं क्षमता विकास योजना (2406–01–001–03–00)"** के अन्तर्गत की जानी है।

3– राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत शासन से स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष निर्धारित प्रपत्रों में मानक मदवार कार्यों का विवरण सहित एक्शन प्लान दिनांक 25 अप्रैल 2024 तक इस कार्यालय को ई–मेल ccfpfmua@gmail.com के माध्यम से सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सामान्य अधिष्ठान योजनान्तर्गत बचनबद्ध मदों में अवशेष देयता का विवरण परिशिष्ट के रूप में अवश्य संलग्न किया जाये।

4– विभिन्न योजनाओं (राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित, कैम्पा एवं जायका) के नोडल अधिकारी/एस0एन0ए0 अपनी–अपनी योजना से सम्बन्धित योजनाओं का प्रभागवार एक्शन प्लान तैयार कराते हुये वित्तीय वर्ष 2024–25 में कराये जाने वाले कार्यों का प्रभागवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण पृथक रूप से दिनांक 10.05.2024 तक उपलब्ध करायेंगे। एक्शन प्लान हेतु निर्धारित प्रपत्रों की वर्ड कॉपी को ई–मेल द्वारा प्रेषित किया जा रहा है तथा इन्हें योजनान्तर्गत वेवसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

5– विगत वर्षों के चालू राजस्व/पूंजीगत मदों के ऐसे कार्य जिनकी द्वितीय/अन्तिम किस्त विभाग/शासन से अवमुक्त करायी जानी है ऐसे प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण–पत्र, भौतिक/वित्तीय उपलब्धि एवं निरीक्षण आख्या दिनांक 25.04.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूंजीगत मदों में ऐसे कार्य जो चालू वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ किये जाने हैं एवं शासन स्तर से कार्यदायी संस्था नामित करायी जानी है की सूचना भी दिनांक 25.04.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– शासकीय पत्रांक 810/X-2-2023-1(29)2021 दिनांक 18.04.2023 के माध्यम से विभिन्न कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था नामित की गयी थी, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 1425/3–5 दिनांक 21.04.2024 के माध्यम से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को प्रेषित किया गया था, इन प्रकरणों में वर्तमान तक आगणन तैयार कराकर इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किये गये हैं, उन प्रकरणों में दिनांक 05.05.2024 तक जिला स्तरीय टी0ए0सी0 समिति से टी0ए0सी0 कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7– वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत जियोजूट विधि से बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन गतिविधि हेतु तीन वर्षीय, वन्य जीव प्रबन्धन, राष्ट्रीय पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास तथा जू प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत वाईल्ड लाईफ लैण्डस्केप रेस्टोरेशन हेतु नियमानुसार तीन वर्षीय प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये।

7– अतः आपसे अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु शासन से वन विभाग के अनुदान सं0–27, 30 एवं 31 के राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत शासन से स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष निर्धारित प्रपत्रों में मानक मदवार कार्यों का विवरण सहित **एक्शन प्लान दिनांक 25 अप्रैल 2024** तक इस कार्यालय को ई–मेल ccfpfmua@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि विभाग को बजट अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव यथासमय शासन को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

01/04/24

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

संख्याः नि० 1538(1)/3–5 (मांग/प्रस्ताव) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।

01/04/24
मुख्य वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

संख्याः नि० 1538(2)/3–5 (मांग/प्रस्ताव) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के संथानार्थ प्रेषित।

01/04/24
मुख्य वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।